मौत को 3 बार उज्जैन के बेटे ने दी मात, आज 'मन की बात' में गूंजेगा संघर्ष

- पिता ने दी किडनी, प्रधानमंत्री कार्यालय से मिली मदद
- स्विमिंग पूल से समुद्र तक अविनाश ने जीती जंग
- तैराकी के क्षेत्र में मिला अटल अवॉर्ड

पं. प्रमोद व्यास

उज्जैन. महाकाल की नगरी से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जो सिर्फ उपलब्धि नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस और संकल्प की जीवंत दास्तान है. उज्जैन के 37 वर्षीय अविनाश टाटावत का नाम अब पूरे देश में गूंजने जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'मन की बात' में अविनाश के संघर्ष और सफलता का जिक्र करेंगे. अविनाश की जिंदगी का सबसे कठिन दौर 2011 में शुरू हुआ, जब उन्हें गंभीर किडनी बीमारी ने जकड़ लिया। हालात इतने बिगड़े कि जिंदगी और मौत के बीच जंग छिड़ गई. इस मुश्किल समय में 65 वर्षीय पिता कैलाश टाटावत ने वो किया, जो हर किसी के बस की बात नहीं- उन्होंने अपनी किडनी बेटे को दान कर दी.

प्रधानमंत्री ने भेजी मदद-आर्थिक संकट भी सामने था. इलाज के लिए पैसे नहीं थे. ऐसे में अविनाश ने प्रधानमंत्री कार्यालय तक गुहार लगाई. मदद मिली, संबल मिला और राशि आई फिर 2023 में गुजरात के नडियाड में सफल किडनी ट्रांसप्लांट हुआ.

कोरोना और हादसा फिर भी नहीं टूटा हौसला-संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ. 2020 में कोरोना ने घेरा, अविनाश ने उसे भी मात दी. फिर एक सड़क हादसा हुआ, भोपाल जाते समय डोडी के पास कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई, बावजूद अविनाश फिर भी बच निकले.

बीमारी से चैंपियन तक का सफर...

जिंदगी मिली तो अविनाश ने उसे सिर्फ जिया नहीं, बल्कि उसे मुकाम दिया. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने तैराकी को एक बार फिर अपनाया और राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते. 200 से अधिक बच्चों को तैराकी सिखाई महानंदा एरिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोचिंग दी, और इन उपलब्धियो पर उस वक्त मोहर लगी जब भारत सरकार का प्रतिष्ठित अटल अवार्ड भी अविनाश को प्राप्त हुआ.

'मन की बात' तक पहुंची कहानी

अविनाश ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर आभार जताया और अपनी पूरी संघर्ष गाथा साझा की. यही कहानी अब 'मन की बात' तक पहुंची और आज भी उज्जैन के निवासी इस युवा के संघर्ष की दास्तान देश सुनने जा रहा है.

सिंहस्थ में निभाना चाहते हैं जिम्मेदारी-अविनाश अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि समाजसेवा की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहते हैं. उनकी इच्छा है कि महाकाल की नगरी में जो 40 करोड़ श्रद्धालु कुंभ के दौरान आएंगे, ऐसे शिप्रा नदी में स्नान करेंगे, डूबते श्रद्धालुओं को बचाने के लिए ट्रेनिंग दें, सिंहस्थ 2028 में सुरक्षा व्यवस्था में योगदान दें. मध्यप्रदेश के युवाओं को तैराकी में आगे बढ़ाएं. उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने की भी इच्छा जताई है.

शहर में सम्मान, समाज में गर्व-अविनाश की इस उपलब्धि पर शहर में खुशी की लहर है. महापौर मुकेश टटवाल, पूर्व महापौर मदनलाल ललावत, बैरवा समाज के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जारवाल, शहर अध्यक्ष सुरेन्द्र मरमट सहित समाज के कई संगठनों ने उनका सम्मान किया. बैरवा समाज और प्रशासन ने भी इस उपलब्धि को गौरव का क्षण बताया.

अपील हुई, सुनिए 'मन की बात'-समाजजनों ने शहरवासियों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री का 'मन की बात' कार्यक्रम अधिक से अधिक संख्या में सुनें और अविनाश जैसे जज्बे से प्रेरणा लें.

मंत्रालय के गलियारे से

कन्हैया लोधी

पारिवारिक आयोजन में राजनीति के रंग

पिछले दिनों प्रदेश के एक कद्दावर मंत्री का पारिवारिक आयोजन हुआ. ये आयोजन पूरी तरह राजनीति के रंग में रंगा नजर आया. इस आयोजन में कमोबेश प्रदेश से जुड़े सभी बड़े नेता शुमार हुए, लेकिन चर्चा के केंद्र में तीन नेताओं की जुगलबंदी ज्यादा रही. इनमें दो केंद्रीय मंत्री और एक प्रदेश के मंत्री थे. ये तीनों ही नेता देर तक एक ही टेबिल पर बैठे रहे और एक-दूसरे की तारीफ करते रहे. अब वहां मौजूद लोग इस जुगलबंदी के मायने निकाल रहे हैं.

क्या मौका भुना पाएगा विपक्ष

प्रदेश में इस समय गेहूं की सरकारी खरीदी चल रही है. शुरूआती दौर में खरीदी केंद्रों में जमकर अव्यवस्था रही. इसे लेकर विपक्षी दल के नेताओं ने जमकर बयानबाजी की. बाद में व्यवस्थाएं सुधरी और फिर खरीदी केंद्रों में स्लॉट बुकिंग को बढ़ाकर ढाई गुना तक कर दिया गया, वहीं खरीदी के समय में भी इजाफा कर दिया गया. सवाल ये कि शुरू में बयानबाजी से सरकार को दबाव में लाने के बाद विपक्ष अब क्या इसकी क्रेडिट ले पाएगा और क्या मौके को भुना पाएगा? या फिर ये अवसर भी गुटबाजी की भेंट चढ़ जाएगा. ये देखना दिलचस्प होगा.

क्या फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाएगी भाजपा

भाजपा एक बेहद अनुशासित राजनीतिक दल है. ये हम सब जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बीजेपी से जुड़े नेताओं की बद्जुबानी पार्टी को भारी पड़ रही है. पिछले साल एक कद्दावर मंत्री अपने बड़बोलेपन में ऐसे उलझे कि अब तक उबर नहीं पाए हैं, बाद में एक महिला मंत्री का बड़बोलापन चर्चा में रहा. पार्टी ने फिर उन्हें भी समझाइश देकर रवाना कर दिया. उसके बाद भी न तो मंत्रियों का बड़बोलापन रूका और न ही विधायकों का. सब को चेतावनी लगातार मिल रही है, लेकिन इस चेतावनी का दूसरे नेताओं पर असर दिख नहीं रहा है. पिछले दिनों एक विधायक ने अपने तेवर से पार्टी और सरकार को ही मुश्किल में डाल दिया. तो क्या एक बार फिर अनुशासन का पाठ पढ़ाने की जरुरत पड़ेगी.

जिम्मेदारी पड़ रही भारी

एक अपर मुख्य सचिव स्तर की अधिकारी को मिली जिम्मेदारी उन पर भारी पड़ रही है. उनके पास जो दायित्व है, वह पहले ही फुल टाइम जॉब है. इस बीच उन्हें एडिशनल चार्ज भी मंत्रालय से बाहर रे दिया गया है. ये चार्ज भी इतना महत्वपूर्ण है कि उसे भी इगनोर नहीं कर सकते. इसका असर उनके मिजाज पर दिख रहा है. बताया जा रहा है कि अब वे पहले से ज्यादा नाराज दिख रही हैं, इसका सीधा असर मातहतों पर पड़ रहा है. अब देखना है कि बदलाव में उन्हें कोई राहत मिलती है या नहीं.

एक नजर में

कुएं में 15 घंटे तक साथ रहे बछड़ा और तेंदुआ

पन्ना. जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक सूखे कुंए में तेंदुआ और बछड़ा गिर गए, इस गहरे कुंए में दोनों तक़रीबन 15 घंटे तक साथ रहे. आश्चर्य की बात यह रही कि छोटे बछड़े को शिकारी तेंदुए ने किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. बछड़ा और तेंदुआ के कुंआ में गिरने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने इन दोनों को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाला. यह वाकया इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. संकट की घडी में दोनों के बीच बहुत ही आत्मीय और दोस्ताना रिश्ता कायम रहा, जबकि बछड़ा तेंदुए का पसंदीदा शिकार है.

पत्रकारों के सवालों पर इमरती देवी हुईं असहज

मुरैना. मध्यप्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में उस समय असहज नजर आईं जब पत्रकारों ने उनसे विधेयक से जुड़े अहम सवाल पूछे. बिना तैयारी के पत्रकार वार्ता में पहुंची पूर्व मंत्री कई सवालों का संतोषजनक जबाव नहीं दे सकीं. पत्रकारों द्वारा लगातार पूछे गए सवालों से घिरने लगीं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर ही निशाना साधना शुरू कर दिया. पूर्व मंत्री इमरती देवी ने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के हित में कभी गंभीर प्रयास नहीं किए,जबकि वर्तमान सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध है.

दिव्यांगजनों के अधिकार हमारी प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा

नौकरियों में 4% आरक्षण दे रही सरकार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एक सच्चा विकसित समाज वही है, जहां दिव्यांगजन सिर्फ सहानुभूति के नहीं, वरन् देश के विकास में बराबरी, सम्मान, समान हक और अवसरों के अधिकारी हों.

दिव्यांगजनों के अधिकारों और अवसरों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि दिव्यांग, दिव्य शक्ति के दिव्य अंश हैं. देश की प्रगति के अभिन्न अंग भी हैं. हम अपनी पूरी संवेदनाओं के साथ दिव्यांगजनों के हितों के प्रति संवेदनशील हैं. मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश में विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र, शासकीय नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण, हर विभाग में समान अवसर के लिए पृथक प्रकोष्ठ (सेल), सार्वजनिक एवं शासकीय भवनों में सहज और सुगम आवागमन के लिए रैंप, वॉशरूम्स का इंतजाम, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरणों का वितरण, सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन जैसी अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं.

नजर का नहीं, नजरिए का कमाल होता है : सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नज़र का नहीं, नजरिए का कमाल होता है. जो अपनी कमी को भी ताकत बना लेता है, वही संसार में नया इतिहास रचता है. हमारे समाज में ऐसे अनेक दिव्यांगजन हुए हैं, जिन्होंने कवि, टीकाकार, लेखक, वैज्ञानिक, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, कलाकार और विचारक बनकर समाज में अग्रणी भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है. राज्य में विभिन्न संस्थानों के माध्यम से संकेत भाषा प्रशिक्षण, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास और कौशल विकास के क्षेत्र में निरंतर काम हो रहा है.

श्रम न्यायालय के आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार की कोई त्रुटि नहीं

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने नगर निगम जबलपुर की याचिका इस टिप्पणी के साथ निरस्त कर दी कि श्रम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कानून या क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि नहीं है.

श्रम न्यायालय ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता की उन आपत्तियों को निरस्त कर दिया था, जिनमें निष्पादन कार्यवाही की स्वीकार्यता पर प्रश्न उठाते हुए यह तर्क दिया गया था कि यह समय-सीमा के कारण वर्जित है. दरअसल अनोवदक जबलपुर निवासी छोटेलाल खुरासिया की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार पांडे ने पक्ष रखा.

उन्होंने दलील दी कि इस याचिका के जरिए नगर निगम जबलपुर ने श्रम न्यायालय के 31 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके जरिए श्रम न्यायालय के अवार्ड के एग्जिक्यूशन की मेंटेनेबिलिटी के बारे में आपत्ति को निरस्त कर दिया गया था. नगर निगम ने एग्जिक्यूशन प्रोसिडिंग्स पर इस आधार पर आपत्ति जताई थी कि अवार्ड को एग्जिक्यूशन में लाने की समय-सीमा खत्म हो गई है और इसलिए एग्जिक्यूशन प्रोसिडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकतीं.

नीट यूजी में सुरक्षा के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति

मकवाणा ने सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

विशेष संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. नीट यूजी 2026 परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने पुलिस मुख्यालय में सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की.

बैठक में परीक्षा सुरक्षा, प्रश्नपत्रों के परिवहन, स्ट्रॉन्ग रूम निगरानी, साइबर मॉनिटरिंग और कानून-व्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तृत रणनीति तैयार की गई. 3 मई 2026 को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को 'अत्यंत संवेदनशील' बताते हुए मकवाणा ने कहा कि यह लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी है, इसलिए हर प्रक्रिया त्रुटिरहित और पारदर्शी होनी चाहिए. उन्होंने सभी परीक्षा केंद्रों, स्ट्रॉन्ग रूम और परीक्षा कक्षों का गहन भौतिक निरीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. साथ ही, परीक्षार्थियों की सुगम एंट्री के लिए पर्याप्त पुलिस बल और मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने को कहा. प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और परीक्षा के बाद ओएमआर (ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन) शीट की वापसी तक कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं. बैंकों, डाकघरों और परीक्षा केंद्रों के बीच परिवहन के दौरान पुलिस एस्कॉर्ट, डैशकैम और निर्धारित रूट मॉनिटरिंग का उपयोग किया जाएगा.

साइबर निगरानी को भी मजबूत किया गया है. साइबर कमांडो सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अफवाह, पेपर लीक या संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे. किसी भी प्रकार की आपराधिक लापरवाही, प्रतिरूपण या संगठित नकल पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी. प्रदेश के 30 शहरों में 283 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें लगभग 1.18 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे.

हाईकोर्ट ने खारिज की मुस्लिम युवक की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका

जबलपुर. हिन्दू समाज के परिवार के द्वारा बेटी को बंधक बनाकर रखे जाने के खिलाफ मुस्लिम युवक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के आदेष पर चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा लड़की के बयान दर्ज रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेष की गयी. रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ता से युवती कोई संबंध नहीं रखना चाहती है. युवती अपने परिवार के साथ रहना चाहती है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्व. केलकर की जयंती पर किया नमन

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के शिल्पकार स्व.यशवंतराव केलकर की जयंती पर पुण्य स्मरण कर उन्हें नमन किया है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि स्व. केलकर की व्यक्तित्व निर्माण और वैचारिक अधिष्ठान को मजबूत करने की अद्वितीय क्षमता से देश के असंख्य कार्यकर्ता संस्कारित हुए. उनका व्यक्तित्व हम सभी को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा.

हिरदेशाह बलिदान दिवस : 28 को भोपाल में आयोजन

क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है शौर्य यात्रा

- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी होंगे शामिल
- जम्बूरी मैदान में होगा भव्य आयोजन

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 25 अप्रैल. अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा मप्र, नर्मदा टाईगर हिरदेशाह शोध संस्था तथा गोंड महासभा के तत्वावधान में 28 अप्रैल को नर्मदा टाइगर हिरदेशाह लोधी के बलिदान दिवस पर शौर्य यात्रा का आयोजन भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आयोजित किया जा रहा है.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव होंगे. प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, मंत्री प्रहलाद पटेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. कार्यक्रम में प्रदेशभर से लोधी समाज के दो लाख से अधिक लोग शामिल होंगे. राजधानी में ये समाज का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसका तैयारियां पूरी कर ली गई है.

यह जानकारी अखिल भारतीय लोधी, लोधा, लोध क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल एवं पूर्व विधायक एवं युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रध्युम्न सिंह लोधी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी. इस दौरान पटेल ने बताया कि यह आयोजन इतिहास की अनदेखी का शिकार उन क्रांतिवीर राजाओं और जनजातीय योद्धाओं के स्मरण का महापर्व है जिनके बलिदान से आजादी की नींव रखी जा सकी लेकिन उनके योगदान को इतिहासकारों के पूर्वाग्रहों ने गुमनाम बना दिया.

जालम सिंह पटेल ने बताया कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश में जमीनों को हड़पने के लिए तीन काले कानून बनाकर लागू किए थे. किसानों से उनकी आय का 6 से 30 गुना तक लगान वसूला जाने लगा था, जमीन को सिकमी पर देने के लिए भी रोक लगा दी गई थी इस कानून का उल्लंघन करने पर जमीन राजसात कर ली जाती थी, मृत्यु के बाद जमीन का नामांतरण बंद कर दिया गया था और जमीन राजसात की जल के लिए बढ़ा दिया गया इन कानूनों ने साधारण किसानों के साथ जमीदारों और राजाओं के लिए भी अपनी जमीन बचाना मुश्किल कर दिया था. हिरदेशाह लोधी ने इन कानूनों के खिलाफ दलित, पिछड़े और आदिवासी राजाओं को एकजुट कर क्रांति का शंखनाद किया.

बिजली कनेक्शन काटने से नाराज युवक ने की हत्या

सिंगरौली. बिजली कनेक्शन काटने की बात को लेकर उपजे विवाद में एक युवक ने 40 वर्षीय व्यक्ति की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी. चितरंगी पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, ग्राम सूदा निवासी भुनेश्वर उर्फ छंदू कोल (40) का शव 24 अप्रैल को संदिग्ध हालत में मिला था. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की. जांच के दौरान संदेह के आधार पर पुलिस ने गांव के ही मुन्नालाल पनिका (28) को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक बार-बार उसका बिजली कनेक्शन काट देता था, जिससे वह नाराज था.

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र

Ministry of Culture
Government of India

(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना – 2026-27

सीसीआरटी विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे कि संगीत, नृत्य, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला और साहित्यिक कला के परंपरागत रूपों में ऐसे दुर्लभ कला रूपों पर विशेष जोर देते हुए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने के लिए या तो मान्यताप्राप्त स्कूलों में पढ़ाई कर रहे अथवा परंपरागत प्रदर्शन कलाओं से जुड़े परिवारों के 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में (अंतिम पात्रता तिथियों के अनुसार) चयनित उत्कृष्ट प्रतिभासंपन्न बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना लागू करता है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की गई छात्रवृत्ति एक बार में दो वर्ष के लिए होती है जो शिक्षा की प्रथम विश्वविद्यालय डिग्री चरण या 20 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, छात्रवृत्तिधारक के संतोषजनक प्रगति बनाए रखने की शर्त के साथ प्रत्येक दो वर्ष के बाद नवीकरणीय होती है। नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार प्रत्येक वर्ष 650 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं :

सामान्य श्रेणी और अन्य के लिए छात्रवृत्तियां 375	परंपरागत कलाकार परिवारों के लिए 125 छात्रवृत्तियां
जनजातीय संस्कृति /अनुसूचित जनजाति के लिए 100 छात्रवृत्तियां	अलग रूप से सक्षम (दिव्यांग) बच्चों के लिए 20 छात्रवृत्तियां
सृजनात्मक लेखन/साहित्यिक कलाओं के लिए 30 छात्रवृत्तियां	

छात्रवृत्ति का मूल्य रुपए 3600/- (रुपए तीन हजार छह सौ मात्र) प्रति वर्ष है और विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए रुपए 9000/-(रुपए नौ हजार मात्र) प्रति तक वास्तविक शिक्षण शुल्क का भी भुगतान किया जाता है। जिन बच्चों की जन्म –तिथि **01-07-2012 और 30-06-2016** (दोनों तिथियां शामिल हैं) के बीच है वे वर्ष 2026-27 के लिए छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। आवेदन –पत्र और अन्य ब्यौरे सीसीआरटी की वेबसाइट-www.ccrtindia.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं या निम्नलिखित में से किसी भी पते से स्वयं /डाक द्वारा मुफ्त प्राप्त किए जा सकते है:

सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, **15 ए, सैक्टर-7, द्वारका,** **नई दिल्ली - 110075** **दूरभाष - 011-28040013** **ई-मेल -ddsch.ccrt@nic.in** **वेबसाइट - www.ccrtindia.gov.in**	**सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र,** **1-118/सीसीआरटी, सर्वे नं.64, समीप गूगल ऑफिस,** **माधापुर, हैदराबाद - 500 084,** **दूरभाष - 040-23117050 एवं 23111910** **ई-मेल - rchyd.ccrt@nic.in**
सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र, **हवाला खुर्द, बड़गावँ,** **उदयपुर, राजस्थान-313001** **दूरभाष - 0294-2430764,** **टैलीफैक्स - 0294-2430771 ,** **ई-मेल - rcud.ccrt@nic.in**	**सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र,** **58, जूरी पार, पंजाबाड़ी रोड,** **गुवाहाटी – 781037, असम** **दूरभाष - 0361-2330152 ,** **टैलीफैक्स - 0361-2335316 ,** **ई-मेल - rcgwt.ccrt@nic.in**
सीसीआरटी क्षेत्रीय केन्द्र, **पुरानी कलेक्ट्रेट बिल्डिंग,** **दमोह, मध्य प्रदेश-470661** **दूरभाष - 07812-299187** **ई-मेल - rcdamoh-ccrt@gov.in**	

संगत दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र रविवार 31 मई 2026 को या इससे पहले सीसीआरटी, नई दिल्ली -110075 में पहुँच जाना चाहिए । डाक में किसी भी विलंब के लिए सीसीआरटी जिम्मेदार नहीं होगा और अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन -पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

cbc 09127/11/0001/2627

पेज एक का शेष

एक-दूसरे को महिला विरोधी साबित करने पर लगाएंगे दांव

इस चर्चा के दौरान राज्य सरकार मप्र में नगरीय निकाय के साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण देने संबंधी प्रावधान का जिक्र कर स्वयं को महिलाओं की सबसे बड़ी शुभचिंतक के रूप में पेश करेगी. प्रदेश में पंचायतों में जहां वर्ष 2007 से महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है, वहीं नगरीय निकायों में वर्ष 2009 से 50 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू किया गया है. उससे पहले 33 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू था. जब ये बदलाव किया गया तो प्रदेश में भाजपा की ही सरकार थी. इस बीच पिछले दिनों लोकसभा में परिसीमन को लेकर बिल पेश किया गया, जिसमें लोकसभा की मौजूदा 543 क्षेत्रों को बढ़ाकर 850 किए जाने का प्रावधान किया गया था, इसी हिसाब से महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाना था, लेकिन लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद एनडीए की सरकार दो तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सकी और बिल गिर गया. विपक्ष ने बिल का विरोध किया. लिहाजा मौके को भाजपा ने तुरंत लपका और देशभर में विपक्ष के खिलाफ मुहिम चलाकर उसे बिल गिरने के लिए जिम्मेदार ठहराया और महिला विरोधी करार दिया.

निंदा प्रस्ताव पेश नहीं करेगी सरकार: इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र आहुत कराने की घोषणा कर दी, जिससे कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जा सके.

संविधान के जानकारों के मुताबिक सदन में लोकसभा के बिल के पारित नहीं होने पर निंदा प्रस्ताव तो नहीं लाया जाएगा, ऐसा किया जाना विधि सम्मत नहीं होगा, लेकिन सदन में सरकार नारी सशक्तिकरण को लेकर संकल्प जरुर पेश कर सकती है, जिस पर चर्चा करायी जा सकती है और केंद्र सरकार से परिसीमन के साथ 33 फीसदी आरक्षण के प्रावधान को लागू करने का आग्रह किया जा सकता है.

पश्चिम मध्य रेल

सिगनल एवं दूर संचार विभाग, निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि.म.स.एवं दू.स.इंजी. (सिगनल एवं दूर संचार) पश्चिम मध्य रेलवे कोटा मंडल, निम्नलिखित कार्यों, KOTA/S&T/Tele/2026/01, KOTA/S&T/Tele/2025/18 and KOTA/S&T/Tele/2025/16 के लिए निर्धारित की निविदा आमंत्रित करते हैं। टेण्डर खुलने की तारीख एवं समय 18.05.2026, 22.05.2026, से 29.05.2026 ऐट 15:00 इस निविदा के लिए किसी भी तरह के मैनुअल प्रस्तावों की अनुमति नहीं है और किसी भी तरह के प्राप्त मैनुअल प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जायेगा। **क्र. सं. 1 टेन्डर सं :** कोटा/एसएण्डटी/टेली/2026/01, **कार्य का नाम :** प्रोविजन ऑफ फाइबर मोनिटरिंग सिस्टम इन मथुरा–नागदा सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन, **कार्य की अनुमानित लागत :** Rs 18031339.15, **टेण्डर फॉर्म की कीमत :** नगण्य, **बयाना राशि :** Rs 360700, **कार्य समाप्ति अवधि :** 12 Months, **टेण्डर जमा करने की आखरी तारीख एवं समय :** दिनांक 18.05.2026 को 15:00 बजे तक, **क्र. सं. 2 टेन्डर सं :** कोटा/एसएण्डटी/टेली/2025/18, **कार्य का नाम :** प्रोवीजन ऑफ कन्ट्रोल कम्यूनीकेशन सिस्टम ऑन वीओआईपी बेस्ड ओवर कोटा–चित्तौडगढ–रूठियाई सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन (डब्ल्यूसीआर), **कार्य की अनुमानित लागत :** Rs, 29118104.57, **टेण्डर फॉर्म की कीमत :** नगण्य, **बयाना राशि :** Rs 582400, **कार्य समाप्ति अवधि :** 12 Months, **टेण्डर जमा करने की आखरी तारीख एवं समय :** दिनांक 22.05.2026 को 15:00 बजे तक, **क्र. सं. 3 टेन्डर सं :** कोटा/एसएण्डटी/टेली/2025/16, **कार्य का नाम :** प्रोवीजन ऑफ कन्ट्रोल कम्यूनीकेशन सिस्टम ऑन वीओआईपी बेस्ड ओवर नागदा–कोटा–मथुरा सेक्शन ऑफ कोटा डिवीजन (डब्ल्यूसीआर), **कार्य की अनुमानित लागत :** Rs. 51178302.48, **टेण्डर फॉर्म की कीमत :** नगण्य, **बयाना राशि :** Rs 1023600, **कार्य समाप्ति अवधि :** 12 Months, **टेण्डर जमा करने की आखरी तारीख एवं समय :** 29.05.2026 को 15:00 बजे तक। पूर्ण विवरण वेबसाइट http://www.ireps.gov.in. पर अपलोड की गई हैं। निविदा/बोलीदात्ताओं के पास कक्षा III डिजीटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है और आई आर ई पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहिये। केवल पंजीकृत निविदा/बोलीदाताओं ई–टेण्डरिंग पर भाग ले सकते है। सभी आवश्यक दस्तावेज ई निविदा मे भाग लेने के समय मे अपलोड किया जाना चाहिऐ। पंजीकृत निविदा एंड GSTIN रजिस्टर होना चाहिए।

हस्ता.

वरि. मं.सं. एवं दू.सं.इंजी./समन्वय, पश्चिम मध्य रेल, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**